भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2824

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों की जलवायु-रोधक्षमता

2824 डा. सस्मित पात्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों की चक्रवात, बाढ़, तटीय कटाव और जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जलवायु-रोधक्षम स्तरोन्नयन के लिए चिह्नित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत तथा कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(घ) चरम मौसमी घटनाओं के दौरान निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और संबंधित अवसंरचना की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रासंगिक भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) संबंधी कोड, विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और एनएच की सुरक्षा के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है जिसमें चक्रवात, बाढ़, तटीय कटाव और जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। ये प्रावधान स्थानीय भू-आकृति विज्ञान और जल विज्ञान, दीर्घकालिक वर्षा डेटा और चरम मौसमी घटनाओं, जल ग्रहण क्षेत्र के लक्षण, जल निकासी पैटर्न, ओवर-लैंड और उपसतह प्रवाह, साथ ही प्राकृतिक जल-आकृति विज्ञान पर अनियोजित शहरीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हैं। तदनुसार, सुरक्षा, स्थायित्व और निर्बाध संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में जलवायु-अनुकूल उपायों को एकीकृत किया गया है। सड़क और राजमार्ग क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना कार्यान्वयन एजेंसियों को आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, जिसमें सड़कों और राजमार्गों पर यातायात संपर्कता को बनाए रखने और बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुनियादी ढांचा आपदाओं के दौरान और उसके बाद प्रयोक्ताओं के लिए कार्यात्मक और सुरक्षित बना रहे, इससे परिवहन प्रणाली की समग्र मजबूती में सहायता प्राप्त होगी।
